

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 235/2011 राजस्व वाद

अनवान

1. ईसर पिता स्व0 श्री प्रताप जाट उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा, जूंगा का खेडा मजरा लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

— (वादीगण)

बनाम

1. श्रीमति सीमा पत्नि सेठूलाल जाट उम्र वयस्क निवासी सरदारपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. श्रीमति भूरी पत्नि नन्दराम जाट उम्र वयस्क निवासी सरदारपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 92(क) 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री ईसर जाट.....वादी स्वयं
2. विपक्षी क्रम 01, 02
3. पैरोकार सरकार

दिनांक– 05.06.2017

राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम लाम्बियाखुर्द में उभयपक्ष पक्षकारन उपस्थित। आज दिनांक 05.06.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र सहमति से निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि – वादीगण का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादी से अन्तर्गत धारा 53 ,188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उभयपक्ष पक्षकारन के मध्य राजीनामों से मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम लाम्बियाखुर्द पटवार क्षेत्र लाम्बियाखुर्द तहसील बनेड़ा की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजियात में वादी का हक हिस्सा प्रथक व प्रतिवादी क्रम 01, 02 को शामलात यथावत रखते हुए विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है–

1. ईशर पिता प्रताप जाट सा0 गोविन्दगढ मजरा लाम्बियाखुर्द सा0देह खातेदार (वादी)

आ0न0	रकबा	किस्म/लगान
25/1	01-07	बी0ब0/0.61
26/1	03-04	बी0ब0/1.44
380	01-18	चा0तृतीय/11.40
382	02-18	न0द्वितीय/7.84
383	00-04	गौ0मु0खडडा/-
384	01-16	चा0तृतीय/10.80
396	01-07	चा0तृतीय/8.10
397	00-19	न0द्वितीय/2.56
378/2	00-10	बी0ब0/0.22
378/3	00-09	बी0ब0/0.20
379/1	00-15	चा0तृतीय/4.50
कुल 11	रकबा 15-07 बीघा	47.67

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज

2. सीमा पत्नि सेदूलाल, भूरी पत्नि नन्दराम जाट सा0 सरदारपुरा खातेदार मु0वि0क0 रहन एस0बी0आई0 रायला (प्रतिवादी)

आ0न0	रकबा	किस्म/लगान
25	02-07	बी0ब0 / 1.05
26	02-04	बी0ब0 / 0.99
378	00-04	बी0ब0 / 0.09
378 / 1	00-10	बी0ब0 / 0.23
378 / 4	02-17	बी0ब0 / 1.28
379	00-18	चा0तृतीय / 5.40
380 / 1	01-14	चा0तृतीय / 10.20
381	01-01	/ 6.30
382 / 1	01-07	/ 3.64
396 / 1	01-03	/ 6.90
397 / 1	01-02	/ 2.97
कुल 11	रकबा 15-07 बीघा	39.05

03- शामलात यथावत रहेगी।

आ0न0	रकबा	किस्म/लगान
378 / 1	00-03	बी0ब0 / 0.07
394	00-03	गै0मु0चाह / -
395	00-08	गै0मु0पाल / -
कुल 03	रकबा 00-14 बीघा	00.07

उक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादी क्रम 01, 02 के मध्य क्रम संख्या 1 से 3 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01, 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 05.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम लाम्बियाखुर्द में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव

(उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाड़ा राज)